



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: ५७-अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२३-प्रोन्नति(०२ब) / २०२३-२४

दिनांक : ३०/११/२०२३

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री नवीन गौतम (अभिसं०-2015389, सैप आई०डी०-11006168) (गृह जनपद-प्रतापगढ़) (सेवानिवृत्ति तिथि-30.04.2049), सहायक अधियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बरेली, अन्तर्गत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंगम को अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत कर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंगम को आवंटित किया जाता है।

२— परिषदादेश संख्या 1849-का.वि.नि./रा.वि.प.-२९/९७-१४काविनी/८७, दिनांक ८ अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री नवीन गौतम को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री दिलीप कुमार (अभिसं०-2015390, सैप आई०डी०-11001037) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत आदेश के निर्गमन की तिथि 25.02.2023 से अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

३— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि०८)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आद्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।

४— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं०-२९००-प्रशि०-१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

५— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।

६— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वार्षिक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

७— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-४२७४ / २०२२, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंगम में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

संख्या: ५७(१)उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, लखनऊ।
- २— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वय, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणान्वय, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरल, कानपुर।
- ३— अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ४— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०।
- ५— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०।
- ६— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ७— उप सचिव, ज०श० प्रशि० एवं प्रशा०सु० / गोपन/अ०प्र०-(०३/०४)/अ०प्र०-०७ उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ८— अधिशासी अभियन्ता (वै०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव (०२ब)